

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/401

दिनांक: 8/1/2025


अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद पुष्कर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	अजमेर	पुष्कर	राजस्व ग्राम लीला सेवडी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम गनाहेडा का नाला सीमा क्षेत्र (जनसंख्या-2,209)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कुमार पाल गौतम)

आयुक्त एवं शासन सचिव